राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

सन्तरा बनाम नीता सिंह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 1 ने अपनी लिखित बहस पेश कर लिखित बहस को ही उनकी बहस माने जाने का निवेदन किया एवं अधिवक्ता अपीलार्थी एवं रेस्पो. संख्या 3 की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 09/02/2026 को पेश हो | राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
09/02/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष काउन्टर क्लेम पेश किया गया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 09/12/2025 पारित करते हुये प्रतिवादी संख्या 1 का काउन्टर क्लेम आंशिक स्वीकार कर तहसीलदार माधोराजपुरा को विवादग्रस्त आराजी खतौनी संख्या नया 315 पुराना खाता संख्या 274 में स्थित खसरा नम्बर 630/4 रकबा 1.0116 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम बासडी जोगियान, पटवार हल्का बासडी जोगियान, भू.अ.नि. क्षेत्र रेनवाल, तहसील माधोराजपूरा, जिला जयपुर में स्थित आराजीयात का बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स(अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी) यथासंभव मौके कब्जे के अनुसार नक्शा-कुर्रेजात तैयार किये जाने के आदेश प्रदान किये गये तथा तहसीलदार माधोराजपुरा को वादग्रस्त भूमि का मौका मुआयना कर उभयपक्षकारान की उपस्थिति में राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम-1955 के नियम 18 से 21 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीयां सन्तरा के विरुद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है | जिस पर रेस्पो. संख्या 1 ने लिखित बहस के आधार पर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया एवं अधिवक्ता अपीलार्थी एवं रेस्पो. संख्या 3 की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावलीयो का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में पत्रावली मय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री का अवलोकन किये जाने से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के माध्यम से किया गया विभाजन विधिसम्मत प्रतीत होता है | विधि अनुसार एवं खातेदार के काश्तकारी अधिकारों के मध्यनजर सहखातेदारान के मध्य विभाजन एक आवश्यक प्रक्रियां है, जिसे अपीलार्थी द्वारा उठाये गये तकनीकी बिन्दुओ के आधार पर निरस्त किया जाना उचित प्रतीत नही राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

सन्तरा बनाम नीता सिंह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

होता है | अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 09/12/2025 यथावत रखा जाता है एवं अपील संख्या 2076/2025 ख़ारिज की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 09/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर